



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष 1942 (श0)
(सं0 पटना 968) पटना बुधवार 23 दिसम्बर 2020

सं० 3/वि०-वि०-प्र०-03/2019-8770/गृ०वि०
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

23 दिसम्बर 2020

विषय :- बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में।

अपर पुलिस महानिदेशक-सह-निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के माध्यम से प्रशिक्षु पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य पुलिस अकादमी में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजगीर स्थापित करने की अनुशंसा की गयी है।

2. बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करते हुए अकादमी में पदस्थापित वैज्ञानिक अकादमी के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ नालंदा, शेखपुरा, नवादा एवं लखीसराय जिला के अंतर्गत अनुसंधान में सहयोग हेतु घटनास्थल भ्रमण कार्य सहित जिला चलंत प्रयोगशाला से अपेक्षित कार्यो को भी निष्पादित करेंगे।

3. बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में निम्नलिखित प्रशाखाएँ प्रथम चरण में स्थापित की जाएगी :-

क्रमांक संख्या	प्रभाग	प्रशाखा
1	भौतिकी	आग्नेयास्त्र
		साईबर
2	रसायन	सामान्य रसायन
3	जीव विज्ञान	जीव विज्ञान

4. उक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए नालंदा, शेखपुरा, नवादा एवं लखीसराय जिला के अंतर्गत पूर्व से सृजित जिला चलंत विधि विज्ञान इकाई के लिए सहायक निदेशक एवं वरीय वैज्ञानिक सहायक के स्वीकृत पदों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य बल की पूर्ति की जाएगी जिसकी प्रशाखावार संख्या निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

प्रभाग	प्रशाखा	सहायक निदेशक की सेवा प्राप्त करने हेतु चिन्हित जिला	वरीय वैज्ञानिक सहायक की सेवा प्राप्त करने हेतु चिन्हित जिला	पदों की कुल संख्या
भौतिकी	आग्नेयास्त्र	लखीसराय	नवादा, शेखपुरा	03
रसायन	सामान्य रसायन	नालंदा	लखीसराय	02
जीव विज्ञान	जीव विज्ञान	नवादा, शेखपुरा	नालंदा	03
कुल		04	04	08

5. बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए निम्नांकित पदों को स्थायी रूप से सृजित करने के लिए प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी :-

क्र०	पदनाम	पदों की सं०	अभ्युक्ति
1.	उप-निदेशक	01	उप-निदेशक स्तर के पदाधिकारी, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजगीर अन्तर्गत स्वीकृत पदों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर स्थित प्रयोगशाला में कार्यरत सभी पदाधिकारियों/ कर्मियों के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
2.	उच्च वर्गीय लिपिक	01	समूह ग स्तर
3.	निम्न वर्गीय लिपिक	02	समूह ग स्तर
4.	लेखापाल	01	समूह ग स्तर
5.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	02	बेल्ट्रॉन द्वारा संविदा पर लिए जाएँगे।
6.	कार्यालय परिचारी	02	समूह घ स्तर
7.	परिचारी (प्रयोगशाला वाहक)	04	समूह घ स्तर
8.	परिचारी (भिसरा कर्त्तक)	02	समूह घ स्तर
कुल पद-15			

6. बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के साईबर शाखा में सहायक निदेशक एवं वरीय वैज्ञानिक सहायक के पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना के साईबर प्रशाखा से सेवाएँ प्राप्त की जाएगी।

7. बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में स्थापित किए जाने वाले विधि विज्ञान प्रयोगशाला को क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजगीर के नाम से सृजित करते हुए उक्त प्रयोगशाला के माध्यम से निम्नांकित कार्य निष्पादित कराए जाएँगे :-

- यह प्रयोगशाला बिहार पुलिस अकादमी में प्रशिक्षणरत पुलिस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्य बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के अपर पुलिस महानिदेशक-सह-निदेशक के निर्देशन में करेगा।
- बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में चलन्त विधि विज्ञान इकाई से प्रतिनियुक्त वैज्ञानिक, अकादमी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण देने के साथ-साथ नालंदा, शेखपुरा, नवादा एवं लखीसराय जिलों में घटित अपराधों के अनुसंधान में सहयोग हेतु घटनास्थल का भ्रमण कार्य भी सम्पादित करेंगे।
- उक्त प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कार्य बल से नालंदा, शेखपुरा, नवादा एवं लखीसराय जिलों से संबंधित प्रदर्शों की जाँच की जाएगी। जिन प्रदर्शों की जाँच की क्षमता प्रयोगशाला में नहीं होगी उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना/क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भागलपुर को हस्तांतरित कर जाँच कार्य कराया जाएगा।
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में पदस्थापित सहायक निदेशकों एवं वरीय वैज्ञानिक सहायकों में से बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण देने हेतु वैज्ञानिकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
- प्रतिनियुक्त वैज्ञानिकों के मासिक/वार्षिक कार्यों की समीक्षा एवं पी.ए.आर. निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के माध्यम से अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित किया जाएगा।

(vi) इस प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए स्थान तथा प्रशिक्षु पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने से संबंधित उपकरणों का क्रय बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर द्वारा किया जाएगा। प्रयोगशाला की विभिन्न प्रशाखाओं को क्रियाशील बनाने तथा प्रदर्शों की जाँच हेतु उपकरणों का क्रय अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा।

8. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजगीर के लिए आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय हेतु राशि की निकासी एवं व्यय उसी बजट शीर्ष से की जाएगी जिस बजट शीर्ष से बिहार राज्य के अन्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए राशि की निकासी एवं व्यय की कार्यवाई की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 968-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>